संख्या- 97/2023/1325/छप्पन-2023-12/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2023

विषय: गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत रामगढ़ क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दिए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-161/आर0सी0एस0-2022-जी-1/2019 दिनांक 11 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत रामगढ़ क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दिए जाने हेतु धनराशि रू0 1,30,75,796.00 (रूपए एक करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु वन विभाग की 4.0 है0 भूमि के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन गैर वानिकी प्रयोग हेतु नागरिक उड्डयन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि को डायवर्ट करने हेतु प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 25 अगस्त, 2023 में लगाई गई शर्त सं0-1.5 एवं 1.6 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि तथा एन0पी0वी0 का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	विवरण	मद	धनराशि (रूपए में)
1	2	3	4
1	शर्त सं0-1.5 के अनुपालन में प्रभावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के समतुल्य 4.0 है0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि	66,92,636.00
2	शर्त सं0-1.6 के अनुपालन में प्रभावित 4.0 है0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य 1595790.00 रू0 प्रति है0 की दर से (एन0पी0वी0)	(N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य 4.0x1595790= 6383160.00	63,83,160.00
	कुल योग		1,30,75,796.00

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत रामगढ़ क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की दी गई अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1.5 एवं 1.6, जिसका उल्लेख उपर्युक्त प्रस्तर-2 की तालिका में किया गया है, में उल्लिखित धनराशि रू0 1,30,75,796.00 (रूपए एक करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,30,75,796.00 (रूपए एक करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 1,30,75,796.00 (रूपए एक करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ छियानवे मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-165/दस-2023-24, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 97/2023/1325(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।

6- प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।